संख्या-60/2025/1208/12-5-2025-1749031/12-5099/10/2023

प्रेषक,

रविन्द्र,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक ,उ0प्र0,
कृषि भवन, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-5 **लखनऊः दिनांकः 24 अक्टूबर, 2025**

विषयः- एग्रीस्टैक (डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फार एग्रीकल्चर) योजनान्तर्गत फार्मर रजिस्ट्री तैयार करने के संबंध में दिनांक 12 जून, 2024 को निर्गत शासनादेश में संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-एग्री0यो0/297/DCS/2025-26, दिनांक 23 सितम्बर, 2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा फार्मर रजिस्ट्री योजनान्तर्गत एस0पी0एम0यू0 गठन हेतु 05 सदस्यीय स्टाफ की संविदा पर तैनाती निक्सी के माध्यम से किये जाने के स्थान पर कृषि विभाग द्वारा किये जाने हेतु शासनादेश संख्या-43/2024/648/12-5099/2023, दिनांक 12 जून, 2024 के प्रस्तर-8(viii) में संशोधन किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा फार्मर रजिस्ट्री योजनान्तर्गत एस0पी0एम0यू0 गठन हेतु 05 सदस्यीय स्टाफ की संविदा पर तैनाती कृषि विभाग द्वारा किये जाने हेतु शासनादेश संख्या-43/2024/648/12-5099/2023, दिनांक 12 जून, 2024 के प्रस्तर-8(viii) में एतदद्वारा निम्नवत संशोधन किया जाता हैः-

प्र0सं0	विद्यमान व्यवस्था	प्रतिस्थापित व्यवस्था
प्रस्तर-8(viii)	सचिव भारत सरकार के पत्र D.O. No.1-4/2024-FWS, दिनांक 15 अप्रैल, 2024 द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि यदि राज्य में पीएम किसान योजना के ऑपरेशनल गाइडलाइन के अनुरूप फार्मर रजिस्ट्री हेतु एक अलग एसपीएमयू गठित किया जाना है। स्टेट नोडल ऑफीसर की अध्यक्षता में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट का गठन किया जायेगा, जिसमें राजस्व परिषद से नामित स्टेट टेक्निकल कोऑर्डिनेटर, योजनाधिकारी पीएम किसान, स्टेट नोडल ऑफीसर (डिजिटल एग्रीकल्चर), एनआईसी (राजस्व परिषद) के अधिकारियों को रखा जायेगा। इसके अतिरिक्त पीएमयू में सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी एक टीम लीड (Team lead). 2 प्रौद्योगिकी सलाहकार (Technology Consultant) एवं 2 डेटा विश्लेषक (Data Analytics) कुल 05 स्टाफ को निक्सी के माध्यम से निक्सी को अग्रिम भुगतान करते हुए संविदा पर नियुक्त किया जाएगा। एसपीएमयू पर होने वाला समस्त व्यय	8(viii)- सचिव भारत सरकार के पत्र D.O. No. 1-4/2024- FWS, दिनांक 15 अप्रैल, 2024 द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि यदि राज्य में पीएम किसान योजना के ऑपरेशनल गाइडलाइन के अनुरूप फार्मर रजिस्ट्री हेतु एक अलग एसपीएमयू गठित किया जाना है। स्टेट नोडल ऑफीसर की अध्यक्षता में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट का गठन किया जायेगा, जिसमें राजस्व परिषद से नामित स्टेट टेक्निकल कोऑर्डिनेटर, योजनाधिकारी पीएम किसान, स्टेट नोडल ऑफीसर (डिजिटल एग्रीकल्चर), एनआईसी (राजस्व परिषद) के अधिकारियों को रखा जायेगा। इसके अतिरिक्त पीएमयू में सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी 01 टीम लीड (Team lead) 02 प्रौद्योगिकी सलाहकार (Technology Consultant) एवं 02 डेटा विश्लेषक (Data Analytics) कुल 05 स्टाफ की तैनाती संविदा पर कृषि विभाग द्वारा आउटसोर्सिंग के माध्यम से वित्तीय नियमों का अनुपालन करते हुए की जाएगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	पीएम किसान योजना के प्रशासनिक मद से किया जायेगा।	एसपीएमयू पर होने वाला समस्त व्यय पीएम किसान योजना के प्रशासनिक मद से किया जायेगा।

3- एग्रीस्टैक (डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फार एग्रीकल्चर) योजनान्तर्गत फार्मर रजिस्ट्री तैयार करने के संबंध में दिनांक 12 जून, 2024 के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या-43/2024/648/12-5099/2023, दिनांक 12 जून, 2024 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाये/शासनादेश के अन्य दिशा-निर्देश पूर्ववत लागू होंगे।

कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।

भवदीय,
रविन्द्र
प्रमुख सचिव।

संख्या-60/2025/1208/12-5-2025-1749031/12-5099/10/2023, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निदेशक (डिजिटल एग्रीकल्चर), कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उ०प्र० शासन।
3. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
4. कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
5. अपर मुख्य सचिव/सचिव/प्रमुख सचिव, न्याय/वित्त/नियोजन/आईटी एवं इलेक्ट्रानिक/राजस्व/ पंचायती राज/चीन उद्योग एवं गन्ना विकास/उद्यान विभाग, उ०प्र० शासन।
6. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0 लखनऊ।
7. आयुक्त, गन्ना विकास विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
8. महालेखाकार, उ०प्र० प्रयागराज।
9. निदेशक, उद्यान/कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा/सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा कृषि निदेशक उ०प्र०, कृषि भवन, लखनऊ।
10. एस0आई0ओ0, एनआईसी, लखनऊ।
11. समस्त, जिलाधिकारी/समस्त मुख्य विकास अधिकारी/समस्त अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)/समस्त मुख्य राजस्व अधिकारी/समसत उप कृषि निदेशक/समस्त जिला कृषि अधिकारी/समस्त जिला उद्यान अधिकारी/ समस्त जिला गन्ना अधिकारी/समस्त उप जिलाधिकारी/समस्त तहसीलदार/समस्त जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी/समस्त उप सम्भागीय कृषि प्रसार अधिकारी/समस्त तहसीलदार/ समस्त नायब तहसीलदार/समस्त राजस्व विभाग के क्राप सर्वे क्षेत्र के राजस्व निरीक्षक/समस्त डी0आई0ओ0, एन0आई0सी0, उत्तर प्रदेश द्वारा कृषि निदेशक उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
12. वित्त नियंत्रक, कृषि निदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ।
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
रविन्द्र
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in